

17/3/26

प्रार्थना पत्र मूल वाद के लेलग्न पक्षों
में लिखा गया।

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~सेट पेन~~ ^{वाक्य} खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम का जाकर दाखल
दफ्तर हो।

✓